

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं० सं०-म०नि०-II-उ० यो०-86/2021-22/696/मत्स्य/राँची, दिनांक 03.07.25

शुद्धि-पत्र

मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (मत्स्य प्रभाग) द्वारा केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 04 रा० (वि०) दिनांक 10.06.2025 के साथ संलग्न परिशिष्ट-I में टंकण त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्थान पर 2025-26 अंकित हो जाने के कारण उक्त परिशिष्ट के शीर्षक को निम्नवत् संशोधित समझा जाए :-

"वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान - DAJGUA का अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (लाख रुपये में)।"

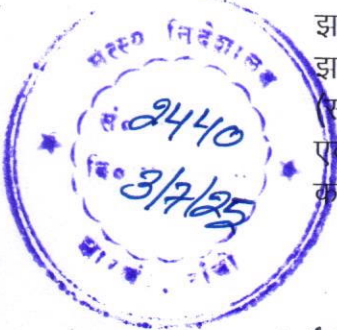
2. उक्त वर्णित परिशिष्ट की सारणी तथा निर्गत स्वीकृत्यादेश की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 696 / राँची, दिनांक 03.07.25

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झारस्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 696 / राँची, दिनांक 03.07.25

प्रतिलिपि: योजना-सह-विकास विभाग/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव